

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-32/2026/ 10122

दिनांक: हस्ताक्षरित

-: आदेश :-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 के तहत निम्नांकित सफल अभ्यर्थी को नायब तहसीलदार के पद पर 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से परिवीक्षा प्रशिक्षु नियुक्त कर 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

राजस्थान तहसीलदार सेवा (गैर अनुसूचित क्षेत्र) :-

S.No.	MERIT No.	R.No.	NAME	CATEGORY	BIRTH DATE	QUOTA
1.	170	1114751	RAMESH KUMAR	BC	07-07-1988	OM-QT

उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता पूर्व में जारी मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2155 दिनांक 20.03.2026 में क्रम संख्या 45 पर अंकित रविन्द्र सियाग (मेरिट क्रमांक-169) के नीचे एवं क्रम संख्या 46 पर अंकित पवन कुमार शर्मा (मेरिट क्रमांक-180) के उपर रहेगी।

शर्त :-

- यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्रम सं.-49 पर अंकित अभ्यर्थी श्री दीपक सिंह, मेरिट क्रमांक-226 का सेवा आवंटन मा. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 202/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 की पालना में अपील/नो-अपील के अध्याधीन किया गया है। अतः अभ्यर्थी श्री दीपक सिंह को नियुक्ति भी उक्त प्रकरण में अपील/नो-अपील के निर्णयाधीन रहेगी।
- अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया गया है कि उनके विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में कभी कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में लम्बित है एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
- अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन अटैस्टेशन फार्म में अंकित वर्तमान पते (कॉलम सं. 2), गृह जिले (कॉलम सं. 3) एवं पिछले 5 वर्षों में ठहराव वाले स्थानों (कॉलम सं. 4) से करवाये गये हैं। प्राप्त चरित्र सत्यापन संलग्न कर लेख है कि प्राप्त चरित्र सत्यापन के अतिरिक्त शेष जिलों एवं अटैस्टेशन फार्म में अंकित शेष स्थानों से मण्डल स्तर पर चरित्र सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सेवा में नियुक्ति नियमानुसार प्रदान की गई है।
- उक्त नियुक्ति आदेश एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।
- उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्याधीन रहेगी।
- इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No.16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी.सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
- नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।

RajKaj Ref No.:
24648478



Digitally signed by
MAHAVEER PRASAD
Designation: Registrar
Date: 2026-10-15
17:58:04 IST

10. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र/पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध चरित्र/पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रतिकूल प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक ही ईकाई माना जावेगा।
12. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.1.2014 व 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग के अभ्यर्थी उक्त अधिसूचना के क्रम में आवश्यक शपथ पत्र उपस्थिति से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
13. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या प. 15 (1) कार्मिक/ क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
14. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
15. उक्त अभ्यर्थियों को परीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
16. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान तहसीलदार सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
17. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
18. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
19. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
20. उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अविलम्ब निदेशक आर0आर0टी0आई अजमेर के समक्ष अपनी उपस्थिति देवें तथा उपस्थिति तिथि ही उनकी संगत (कार्यग्रहण) तिथि होगी।
21. उक्त अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

आदेशानुसार,

(महावीर प्रसाद)

निबन्धक,

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक: सम/ 10123 - 33

दिनांक: हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव माननीय राजस्व मंत्री महोदय, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प-9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक: 19.03.2026 के क्रम में।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 6- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 7- निदेशक आर0आर0टी0आई को निर्देशित किया जाता है कि नवचयनित प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों के

RajKaj Ref No.:
24648478



Digitally signed by
MAHAVEER PRASAD
Designation: Registrar
Date: 2026-10-15
17:58:04 IST

समूह-ए के साथ इनका प्रशिक्षण करावें।

- 7- श्री विक्रम भारती अति.प्रशा. अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी से उक्त आदेश में उल्लेखित “बन्ध पत्र”, आपराधिक प्रकरणों के संबंध में “Self declaratation” अथवा शपथ पत्र तथा जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने एवं दस्तावेज सत्यापन करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करावे।

- 9- संबंधित अभ्यर्थी

स्पीड पोस्ट।

- 10-निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

RajKaj Ref No.:
24648478



Digitally signed by
MAHAVEER PRASAD
Designation: Registrar
Date: 2026-10-15
17:58:04 IST